

श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, शिवहर के द्वारा दिनांक-05.07.2020 को शिवहर जिला का माह जून 2020 का मासिक अपराध निरोध गोष्ठी पुलिस कार्यालय, शिवहर में एवं पुलिस सभा पुलिस केन्द्र में किया गया।

आज दिनांक-05.07.2020 को श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, शिवहर के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, शिवहर में मासिक अपराध गोष्ठी किया गया, जिसमें श्री राकेश कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर, जिले के सभी थानाध्यक्ष, सभी पुलिस निरीक्षक, प्रभारी परिचारी, पुलिस केन्द्र, शिवहर, प्रभारी स्पीडी ट्रायल, प्रभारी हिन्दी शाखा, पुलिस कार्यालय, शिवहर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी भाग लिये।

माह जून 2020 में शिवहर जिले में कुल 145 संज्ञेय मामलें दर्ज किये गये है जिसमें 35 कांड मद्यनिषेध में प्रतिवेदित हुआ एवं मद्यनिषेध के कांड में 44 अभियुक्त को गिरफ्तार तथा देशी शराब- 1404.27 लीटर शराब बरामद किया गया। माह जून 2020 में कुल 86 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस माह शिवहर जिले में डकैती, लूट, नक्सली घटना, साम्प्रदायिक कांड, गंभीर दंगा जैसे महत्वपूर्ण शीर्षों में एक भी अपराध जिले में घटित नहीं हुआ।

माह जून में कोरोना (कोविड-19) संक्रमण के परिपेक्ष्य में अनलॉक-1 के दौरान यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए कुल 200 वाहनों से 124700/- (एक लाख चौबीस हजार सात सौ) रु० मोटरवाहन अधिनियम की घारा के तहत फाईन किया गया।

पुलिस अधीक्षक, शिवहर द्वारा सभी पदाधिकारियों को निम्न निर्देश समेत अन्य निर्देश दिये गए:-

(1) कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु अनलॉक-2 की अवधि में मास्क धारण/सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विशेष अभियान चलाकर सभी को निदेशित किया गया है। उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध फाईन करें। सभी शॉपिंग मॉल/दुकानों/सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन कर्मियों/चालको और ग्राहकों/सवारियों का मास्क का प्रयोग करवाने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराने हेतु सभी थानाध्यक्ष को निदेशित किया गया। बिना मास्क के पाये जाने पर कार्रवाई करेंगे तथा संबंधित प्रतिष्ठान/वाहन के मालिकों एवं कर्मियों/चालकों के द्वारा बिना मास्क पहने प्रवेश कोई प्रवेश करता है तो आदेशोऽल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल/दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन (बस/टैक्सी/ऑटो सहित) का परिचालन बंद करने हेतु प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(2) अपराध नियंत्रण हेतु गश्ती को चुस्त होने, जगह बदल-बदल कर वाहन चेकिंग करने एवं प्रत्येक दिन औचक गश्ती दल निकालने का भी निर्देश दिया गया। श्रावण मास के अवसर पर सभी थानाध्यक्ष को भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।

(3) चुनाव की पूर्व तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। इसमें वारंट निष्पादन, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी , **Vulnerability mapping** , बूथों की संवेदनशीलता का आकलन और अजमाजिक और उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

(3) शराब की बरादमगी, शामिल कारोबारियों की गिरफ्तारी तथा देशी शराब बनने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाये।

(4) पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक बैठक में सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि सभी आवेदकों से अच्छा से व्यवहार करें और उनकी समस्या को सुनकर निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील होकर कार्रवाई करें तथा शांति व्यवस्था बनाये रखें।

(5) बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए किसी पदाधिकारी/कर्मि को पाये जाने पर फाईन करें एवं उस पदाधिकारी एवं कर्मि के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

(6) जुआ खेलने, लॉटरी खेलवाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु सभी थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक को निदेशित किया गया।

पुलिस सभा का आयोजन, पुलिस केन्द्र में।

श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, शिवहर की अध्यक्षता में पुलिस सभा का आयोजन पुलिस केन्द्र में किया गया जिसमें सिपाही से लेकर सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पुलिस मेन्स एसोसियेशन की और से पुलिस केन्द्र की एवं सिपाही के संबंध में जो भी समस्याएँ रखी गयी जिसे पूरा करने के लिए संबंधित को आदेशित किया गया।

